

No. Pers (Rectt-Sec)/SSC/CT (GD)-2018/IG (Spl-Ops) CG/2022/12700-02 भारत सरकार

Government of India गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs कार्यालय महानिरीक्षक सामरिक मुख्यालय (विशेष संक्रिया) सीमा सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ Headquarters Inspector General, (SpIOps), Border Security Force, Chhattisgarh (कार्मिक - भर्ती अनुभाग) (Pers-Recruitment Section)

> बी.एस.पी. उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर/BSP HS School Building, एस.बी. आई.मरौदा-उतई शाखा के विपरीत/Opp SBI Maroda-Utai Br रिसाली सैक्टर (भिलाई) / Risali Sector (Bhilai) जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़) / Distt-Durg(C.G)-490006

दिनाँक / Dated, the 22_Nov' 2022

MRS GULABSHA KHATUN D/O- MD ALLAUDDIN H/NO 112 MOHAN TALKIESE ROAD JAMNIPALI DISTT-KORBA STATE-CHHATTISGARH PIN-495450 M/NO-8305530428

> सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक (जीडी) पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव OFFER OF APPOINTMENT FOR THE POST OF CONSTABLE (GD) IN BORDER SECURITY FORCE

आपके सशस्त्र पुलिस बल में आरक्षक (जीडी) पद पर एस.एस.सी. परीक्षा 2021 के मार्फत मर्ती हेतु आवेदन के संदर्भ में। Ref your application for the post of Constable (GD) in CAPFS through examination exam

- सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक (जीडी) पद के लिए आपके द्वारा दिये गये आवेदन एवं भर्ती संबंधी विभिन्न चरणों मे निर्धारित परीक्षाएँ उत्तींण होने के उपरान्त, मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आपका चयन आरक्षक (जीडी) पद पर वेतनमान पी बी. - । रू० 5,200-20,200 ग्रेड वेतन रू 2,000 (पुनरिक्षित वेतनमान सातर्वे वेतन आयोग के वेतन लेवल – 3 रुपये 21,700.- 69,100) हेतु अस्थाई (प्रोविजनली) तौर पर किया गया है।
- With reference to your application for the post of Constable (General duty) in BSF and consequent upon qualifying the prescribed recruitments tests at various stages, I am directed to inform you that you have been provisionally selected for the post of Constable (GD) in the pay scale of Pay Band – 1, Rs. 5,200-20,200/- with grade pay Rs. 2,000/- (revised pay scale after 7th CPC, Pay matrix level -03, 21700 - 69100)
- उपरोक्त पद पर आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्ती एवं प्रतिबंधों के अधीन होगी :-
- Your appointment to the above post is subject to the following terms and conditions:-
 - आप सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 एवं नियम 1969 यथा संशोधित, केन्द्र सरकार के अन्य आदेशों तथा समय-समय पर लागू होने वाले नियमों एवं विनियमों द्वारा नियत्रित होगें।
 - (a) You will be governed by the provisions of BSF Act- 1968 and Rules 1969 and other Central Government Orders, Rules and Regulations as applicable and amended form time to time
 - प्रारंग्भ में आप दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होगें, जिसे नियोक्ता द्वारा अगुली अवधि अथवा अवधियों के लिए बढ़ाया जा सकता है। जिसकी कुल अवधि की अधिकतम सीमा 01 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है, ऐसा किये जाने का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जायेगा। परिवीक्षाधीन अविध के दौरान, यदि किसी कारणवश नियोक्ता अधिकारी के मत में आप बल के कुशल सदस्य बन पाने के योग्य नहीं पाये जाते हैं तो बिना कोई कारण बताए अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है।

Initially you will be on probation for a period of two years, which may be extended by the appointing authority for Such further period or periods not exceeding one year, for reasons to be recorded in writing. During the period of probation, if the appointing authority considers that you are not likely to become an efficient member of the Force due to any reason, your services be terminated without assigning any reason or without any advance notice.

लगातार/Contd-2

